<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 330 / 12</u> <u>संस्थापन दिनांक:-23 / 08 / 12</u> फाईलिंग नं. 233504000932012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि क्त द्ध

अविनाश पिता प्रहलाद सोनकुसरे उम्र 24 वर्ष, निवासी बस स्टेशन आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 14.02.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 338 भा0दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 13.08.2012 को दिन के 01:30 बजे थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम ससाबड़ अंधारिया के बीच मेन रोड पर अपने आधिपत्य के वाहन मिनी बस क. के.एल.—03—के.—7498 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत राजेंद्र को टक्कर मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.08.2012 को फरियादी सुखदेव ड्यूटी पर था। करीब 5 बजे उसे फोन पर पता चला कि अंधारिया से ससाबड़ के बीच चिचारा घाटी के पास उसके छोटे लड़के राजेंद्र का एक्सीडेंट मिनीबस क. के.एल.—03—के—7498 के चालक द्वारा तेज व लापरवाहीपूर्वक बस को चलाकर एक्सीडेंट कर दिया है जिससे उसके लड़के राजेंद्र के दाहिने पैर में चोट आयी थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में मिनी बस क. के.एल.—03—के.—7498 के चालक के विरूद्ध अपराध क. 272 / 12 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से बस क. के.एल.—03—के.—7498 मय मूल रिजस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेश, बीमा पॉलिसी एवं ड्रायविंग लायसेंस के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आहत की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने

पर अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.08.2012 को दिन के 01:30 बजे थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम ससाबड़ अंधारिया के बीच मेन रोड पर अपने आधिपत्य के वाहन मिनी बस क. के.एल. –03–के.–7498 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ? एवं ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत राजेंद्र को टक्कर मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
- निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

| विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार | | विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष

- 5 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6 राजेंद्र (अ.सा.—4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि हाटना दिनांक को वह मोटर सायकिल से ससाबड़ से अपने गांव अंधारिया की ओर जा रहा था। तभी मोड़ पर एक बस ने टक्कर मारी जिससे उसके पैर में चोट आयी थी। शिवराम (अ.सा.—2), कपिल (अ.सा.—3) एवं मुकेश (अ.सा.—5) ने यह बताया है कि वे घटना के समय बस से अंधारिया से आमला की ओर आ रहे थे तभी बस की टक्कर फरियादी राजेंद्र की मोटर सायकिल से हो गयी थी जिससे उसका पैर टूट गया था। सुखदेव (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसे फोन पर यह सूचना मिली थी कि उसके लड़के राजेंद्र का एक्सीडेंट हो गया है।

- उसके पित है और वह उसके पित के साथ अस्पताल में मरीजों का ईलाज एवं ऑपरेशन करती है उसने दिनांक 14.08.2012 को डॉ. आरएम चांडक के साथ मिलकर आहत राजेंद्र का परीक्षण किया था जिसमें आहत के दांये पैर के घुटने के उपर एक फेक्चर था जिसका ऑपरेशन किया गया था। साक्षी ने आहत की चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—6) को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी शिवराम (अ.सा.—2), किपल (अ.सा.—3), राजेंद्र (अ.सा.—4), मुकेश (अ.सा.—5) के कथनों से घटना दिनांक को एक्सीडेंट से आहत राजेंद्र के पैर पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।
- 8 एस.एल. साहू (अ.सा.—8) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 16.08. 2012 को थाना आमला की बोड़खी चौकी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क. 272 / 12 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—2) एवं अभियुक्त से बस क. केएल—3—के—7498 को मय दस्तावेज जप्त कर (प्रदर्श प्री—8) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—9) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- 9 साक्षी राजू साहू (अ.सा.—9) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 17. 08.2012 को वाहन क. केएल—03—से—7498 का मैकेनिकल परीक्षण थाना आमला में किया जाना तथा उसमें वाहन का ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, टाईरा एण्ड एकसल, हार्न, लाईट ठीक अवस्था में पाया जाना तथा वाहन के झायवर साईड के नीचे साईड की चादर दबी हुई होना पाया जाना प्रकट करते हुए मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—10) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- 10 राजेंद्र (अ.सा.—4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त अविनाश को जानता है और घटना के समय बस को अभियुक्त अविनाश चला रहा था। शिवराम (अ.सा.—2), मुकेश (अ.सा.—5) ने भी न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वे अभियुक्त अविनाश को जानते हैं और वे घटना दिनांक को कोष्ठी बस से ससाबड़ की ओर जा रहे थे तथा उक्त बस को अभियुक्त अविनाश चला रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन बस का नंबर लेख कराया गया है। जबिक फरियादी एवं अन्य साक्षीगण ने वाहन का नंबर बता पाने में असमर्थता प्रकट की है। मात्र वाहन का नंबर न बताया जाना अभियोजन के मामले पर विपरीत प्रभाव नहीं डालता है। घटना दिनांक को वाहन अभियुक्त चला रहा था यह साक्ष्य अखंडित रही है तथा अभियुक्त की ओर से इसे चुनौती भी नहीं दी गयी है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि घटना दिनांक को बस अभियुक्त अविनाश के द्वारा ही चलायी जा रही थी। अतः प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या घटना

दिनांक को अभियुक्त के द्वारा बस उपेक्षा या उतावलेपन से चलायी गयी थी।

- 11 राजेंद्र (अ.सा.—4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह अपने गांव अंधारिया की ओर जा रहा था। सामने से बस बहुत तेजी से चली आ रही थी। वह अपनी साईड पर था परंतु बस ने उसकी मोटर सायिकल पर टक्कर मार दी थी। शिवराम (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि घटना के समय वह बस से अंधारिया से आमला की ओर आ रहा था। घटना के समय बस बहुत तेज गित में थी। बस में बैठी सवारी ने बस के ड्रायवर से यह कहा था कि बस धीरे चलाओ तब ड्रायवर ने कहा कि मैं लेट हो रहा हूं देन की सवारी है। इसके बाद अभियुक्त ने सामने से आ रही मोटर सायिकल को ठोक दिया।
- 12 मुकेश (अ.सा.—5) ने यह बताया है कि वह घटना दिनांक को कोष्ठी बस में बैठकर अंधारिया से आमला की ओर आ रहा था तथा बस की टक्कर फरियादी राजेंद्र की मोटर सायिकल से हो गयी थी। साक्षी ने यह बताया है कि वह पीछे बैठा था इसलिए नहीं देख पाया कि टक्कर कैंसे हुई। वह तथा बस में सवार अन्य लोग नीचे उतरकर आहत राजेंद्र को देखे थे, राजेंद्र के पैर में चोट आयी थी फिर उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा दिया था। किपल (अ.सा. —3) ने यह बताया है कि वह कोष्ठी बस से ससाबड़ की ओर जा रहा था। सामने से आहत राजेंद्र मोटर सायिकल से आ रहा था तभी बस की टक्कर आहत की मोटर सायिकल से हो गयी थी और जिस जगह पर टक्कर हुई थी वहां पर मोड़ था। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस सुझाव को गलत बताया है कि बस का झायवर अविनाश तेजी व लापरवाही से बस को चला रहा था।
- 13 सुखदेव (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था। उसे फोन पर सूचना मिली थी कि उसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। उपर्युक्त साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसने घटना की रिपोर्ट थाने में की थी। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसके लड़के ने यह बताया था कि बस क. केएल—03—7498 के झायवर अविनाश ने मोटर सायिकल पर टक्कर मारी थी। उपर्युक्त साक्षी अनुश्रुत साक्षी है जिसके समक्ष घटना घटित नहीं हुई थी। अतः अभियुक्त के द्वारा वाहन किस प्रकार चलाया जा रहा था इस संबंध में उक्त साक्षी की साक्ष्य से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। प्रेम (अ.सा.—7) अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है।
- 14 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** मात्र वाहन को तेजी से चलाया जाना उतावलेपन का सूचक नहीं है। अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चला रहा था।

अतः इस आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं माना जा सकता। जबिक अभियोजन अधिकारी ने युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त के द्वारा वाहन को उतावले एवं लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने का तर्क प्रकट किया है।

बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में राजेंद्र (अ.सा.-4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह भी अपनी साईड से जा रहा था और अभियुक्त भी अपनी साईंड से आमला की ओर आ रहा था तथा अंधारिया मोड़ पर अभियुक्त ने बस को ज्यादा काट दिया था। पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि उसे किसी ने यह नहीं बताया था कि अभियुक्त तेजी व लापरवाही से बस को चला रहा था। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि उसने खुद देखा था कि तेजी से बस सामने से आ रही थी। शिवराम (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि उसने पुलिस को यह बात नहीं बतायी थी कि बस में बैठी सवारी ने ज़ायवर से यह कहा था कि बस को धीरे चलाओ परंतु तत्पश्चात साक्षी ने यह बताया है कि पुलिस ने उससे पूछा नहीं था इसलिए उसने बताया नहीं था। उपर्युक्त साक्षी से बचाव अधिवक्ता के द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर कि मोटर सायकिल वाला बस से टकरा गया था तब साक्षी का कहना है कि दोनों वाहन टकराये थे। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि बस यदि अपनी साईड में होती तो टक्कर नहीं होती। पैरा क. 07 में साक्षी ने यह बताया है कि बस से उतरने के बाद उसने आहत को जिस जगह पर वह पड़ा था वहां से उठाया था तथा इसी पैरा में यह बताया है कि अभियुक्त ने जानबुझकर घटना कारित नहीं की थी। स्वतः में साक्षी ने कहा कि यदि गाडी कन्द्रोल की जाती तो दुर्घटना नहीं होती। कपिल (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अंधारिया मोड पर बस से टक्कर हो गयी थी तथा इस सुझाव को सही बताया है कि बस चालक ने जानबूझकर तेजी व लापरवाही से बस चलाकर टक्कर नहीं मारी थी तथा यह भी बताया है कि बस चालक अपनी साईड से सामान्य गति से बस ले जा रहा था।

16 साक्षी शिवराम (अ.सा.—2), राजेंद्र (अ.सा.—4), मुकेश (अ.सा.—5) के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा वाहन को चलाया जा रहा था तथा घटना मोड़ पर हुई थी। यद्यपि साक्षी मुकेश (अ.सा.—5) ने यह बताया है कि वह बस में पीछे बैठा था इसलिए घटना नहीं देख पाया था। साक्षी कपिल (अ.सा.—3) ने भी वाहन के चालक द्वारा सामान्य गति से बस चलाया जाना बताया है परंतु साक्षी शिवराम (अ.सा.—2) ने अभियुक्त के द्वारा बस को तेजी से चलाया जाना और मोटर सायिकल में टक्कर मार दिया जाना बताया है। साक्षी राजेंद्र (अ.सा.—4) ने भी अभियुक्त के द्वारा वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसकी मोटर सायिकल को टक्कर मार दिया जाना बताया है। उपर्युक्त साक्षी शिवराम एवं राजेंद्र अपने कथनों पर अखंडित रहे हैं। साक्षी शिवराम की अभियुक्त से कोई रंजिश हो ऐसे कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है।

तब ऐसी स्थिति में साक्षी के कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई भी कारण प्रकट नहीं होता है तथा साक्षी कपिल (अ.सा.—3) एवं मुकेश (अ.सा.—5) के कथनों से अभियोजन का आंशिक समर्थन तो होता ही है।

- वचाव अधिवक्ता का एक तर्क यह भी रहा है कि फरियादी राजेंद्र टक्कर लगने के बाद तुरंत बेहोश हो गया था। तब ऐसी स्थिति में साक्षी का यह कथन कि अभियुक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था विश्वसनीय नहीं है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में फरियादी राजेंद्र (अ.सा.—4) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि वह टक्कर लगने के बाद बेहोश हो गया था परंतु साथ ही साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने स्वयं अभियुक्त को बस सामने से तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए देखा था।
- वचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि वाहन को मात्र तेजी से चलाया जाना लापरवाही का द्योतक नहीं है। बचाव अधिवक्ता का यह तर्क उचित है कि मात्र वाहन को तेजी से चलाया जाना लापरवाही या उपेक्षा का द्योतक नहीं हो सकता है, परंतु साक्षीगण शिवराम (अ.सा.—2) किपल (अ.सा.—3) राजेन्द्र (अ.सा.—4) मुकेश (अ.सा.—5) के कथनों एवं नक्शा मौका (प्रदर्श प्री—2) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घटना स्थल मोड़ है, ऐसी दशा में वाहन चालक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह वाहन की गित सीमित रखे, तािक मोड़ पर दूसरी ओर से आ रहा वाहन एकसाथ ना आ जाए। चूंिक वाहन की रफ्तार तेज थी। सािक्षी शिवराम (अ.सा.—2) जो कि बस में बैठा था, उसके अनुसार प्रयास करने के बाद भी अभियुक्त वाहन बस को नहीं रोक पाया, जिससे आहत की मोटर सायकल से टक्कर हो गई थी, यह दर्शाता है कि अभियुक्त ने घटना के समय उतनी सावधानी एवं सतर्कता नहीं बरती थी, जितनी कि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति को बरतना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को बस को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत राजेंद्र को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की थी।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

19 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर ग्राम ससाबड़ अंधारिया के बीच मेन रोड पर अपने आधिपत्य के वाहन मिनी बस क. के.एल.—03—के.—7498 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत राजेंद्र को टक्कर मारकर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की। फलतः अभियुक्त अविनाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338 के आरोप में दोषी पाया जाता है।

20 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोटः— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

- 21 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। उसके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेख पर नहीं है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरूद्ध वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कारित किया जाना जिसके परिणामस्वरूप आहत को घोर उपहति होना प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।
- 22 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा बस क. के.एल.—03—के.—7498 को उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर आहत राजेंद्र को टक्कर मारकर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की जाना, का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।
- 23 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा०दं०सं० का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा न्यायदृष्टांत राज्य वि. गुलाम मीर ए.आई.आर. 1956 एम.बी.141 में प्रतिपादित सिद्धांत एवं भा.दं.सं. की धारा 71 के प्रावधानों के आलोक में अभियुक्त को प्रमाणित अपराध में से केवल भा.दं.सं. की धारा 338 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए छः माह के सश्रम कारावास तथा 500/— रु. के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

24 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्त को उप जेल मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

25 प्रकरण में जप्तशुदा मिनी बस क. के.एल.—03—के.—7498 निर्मला पित श्री कृष्ण पटने निवासी वार्ड नं. 13, आमला थाना आमला जिला बैतूल को मय दस्तावेजों के अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

26 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)